



## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

➤ अजमेर में पुलिस थाना अलवर गेट का सहायक उप निरीक्षक पुलिस 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, 04 जुलाई, गुरुवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.डब्ल्यू.), जयपुर द्वारा आज अजमेर में कार्यवाही करते हुये नन्द भँवर सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, चौकी नाका मदार, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर को परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.डब्ल्यू.), जयपुर को परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की दी गई कि उसके द्वारा दर्ज कराये गये प्रकरण में मदद करने की एवज में अनुसंधान अधिकारी नन्द भँवर सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, चौकी नाका मदार, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर द्वारा 1 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के सुपरवीजन में ए.सी.बी. विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.डब्ल्यू.), जयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ललित किशोर शर्मा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्रीमती कविता यादव द्वारा मय टीम उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेन्द्र पंचौली एवं अन्य के अजमेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी नन्द भँवर सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, चौकी नाका मदार, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर को परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत से पूर्व भी 50 हजार रुपये रिश्वत के रूप में परिवादी से वसूल कर लिये थे।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।